Annexure-III

SUMANTAI WASNIK INSTITUTE OF NURSING

NAGPUR

Maharashtra University of Health Sciences, Nashik

Trust Deed / Bylaws/ Registration Certificate (Trust / Hospital (Bombay Nursing Act))

Academic Year 2022- 20223

Faculty: - Nursing

Name of College: Sumantai Wasnik Institute of Nursing, Nagpur

Name of Trust/Society	:	Sumantai Wasnik Institute Of Nursing, Nagpur
Registration Certificate	:	Trust / Society : Indian Youth Welfare Multipurpose Society Nagpur Hospital (Bombay Nursing Act) : Copy of registration certificate of trust/ society is attached
Name of the College / Institute (As per First Affiliation letter)	:	Sumantai Wasnik Institute Of Nursing, Nagpur
Address	:	Shivpriya Nagar, Opposite Ganesh Nagar, Dabha, Wadi, Nagpur
Email ID	:	swcon1@yahoo.in
Telephone/Mobile No.(s)	:	9370356022
Website	:	www.swasniknursing.org
College Code	:	155110

Date :- 25/04/2022

Place :- NAGPUR

RJadhav

Principal

Stamp & Signature

SUMANTAI WASNIK INSTITUTE OF NURSING * NAGPUR *

PRINCIPAL
SUMANTAI WASNIK
INSTITUTE OF NURSING
NAGPUR

2

विशेष/ध.आ./मु.सा.वि./२७.

सत्यमेव जयते

नोंदणीचे प्रमाणपत्र

याद्वारे प्रमाणपत्र देण्यात येते की, खाली वर्णन केलेली सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था ही आता, मुंबई सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियम, १९५० (सन १९५० चा मुंबई अधिनियम क्रमांक २९) या अन्वये .... नागपुर .... येथील सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था नोंदणी कार्यालयात योग्य रीतीने नोंदण्यात आलेली आहे.

सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्थेचे नाव इंडीअन युथ वेलफेअर मल्टीपरपज सोसायटी, नागपुर ....

सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्थांच्या नोंदणी पुस्तकातील क्रमांक एफ- ११६५८ (ना.) ......

श्री- बालकृष्ण रामचंद्र वासनिक .... यांस प्रमाणपत्र दिले.

आज दिनांक 13 · 3 · - १९९५ रोजी माझ्या सहीनिशी दिले.

सहायक धर्मादाय आयुक्त
शिक्का
नागपूर विभाग नागपूर

सही ....

पदनाम सहायक धर्मादाय आयुक्त
नागपूर विभाग, नागपूर.

R Jadhav

PRINCIPAL
SUMANTAI WASNIK
INSTITUTE OF NURSING
NAGPUR

Trnsl ...

2

1

[विशेष-प्र. आ./मुं. शा. वि./५०म.

№ 12038

नोंदणी प्रमाणपत्र

संस्था नोंदणी अधिनियम, १८६०

(१८६० चा अधिनियम २१)

नोंदणी क्रमांक महा/329/८४. नागपूर.

याद्वारे असे प्रमाणित करण्यात येते की, इंडीयन युथ वेलफेअर मल्टीपरपज सोसायटी, नागपूर. याची उपरोक्त संस्था नोंदणी अधिनियम, १८६० (सन १८६० चा अधिनियम २१) अन्वये योग्यरित्या नोंदणी करण्यात आली.

तारीख ४ मे १९८४ रोजी माझ्या सहीनिशी दिले.

REGISTRAR OF SOCIETIES ... MAHARASHTRA STATE

(Signature)

संस्थांचे सहायक निबंधक,

नागपूर विभाग.

RJadhav

PRINCIPAL
SUMANTAI WASNIK
INSTITUTE OF NURSING
NAGPUR

Registration Act 1860.
No. 321/
Dated ...... 21/...

परिशिष्ट "ड"

"इंडीयन युथ वेलफेअर मल्टीपरपज सोसायटी" नागपूर इस संस्था का ज्ञापन

Nagpur Region

मेमोरण्डम ऑफ असोशियशन

[१] संस्था का नाम : इस संस्था का नाम "इंडीयन युथ वेलफेअर मल्टीपरपज सोसायटी," नागपूर यह रहेगा ।

[२] संस्था के कार्यालय का पता : इस संस्था का कार्यालय ३६५ मौलाना आजाद मार्ग गांधीनगर नागपूर - १०१ श्री.बालकृष्ण रामचंद्र वासनिक ३६५ मौलाना आजाद मार्ग गांधीनगर, नागपूर ।१०

[३] संस्था के उद्देश्य: संस्था द्वारा दलीत आदिवासी तथा आर्थिक दुर्बल लोगो के सर्वांगींण विकास के हेतु शैक्षणीक, सामाजिक, सांस्कृतीक, शारीरिक तथा नैतीक, मानसीक बौधीक कार्य करना ।

शैक्षणिक :- संस्था द्वारा प्रायमरी, कॉन्व्हेन्ट, हायस्कूल, महाविद्यालय, उच्चशिक्षण, आर्ट, कॉमर्स, सायन्स, सोसलसायन्स, लॉ. फीजीकल, मेडीकल, मेडीसीयन, फार्मसी, आयुर्वेदीक, हॉमोपेथीक, इंजिनियरींग टेक्नालॉजी, व्यवसाई टेकनिकल, कृषी, बिझीनेस मॅनेजमेंट, वसतीगृह, युवक कल्याण, मनुष्य विकास के अंतर्गत आने वाली सभी प्रकार की योजना शिक्षा तथा शोध कार्य चलाना ।

सामाजिक :-

[१] शिक्षीत बेरोजगार के विकास के हेतु आय.टी.आय पॉलीटेक्निक चलाना

[२] किसान भाईओ के लिये तंत्रज्ञान, बीज, रासायणीक खत, जंतू नासक दवाईयों के लिये प्रशिक्षण केंद्र चलाना ।

[३] बालकविकास के हेतू : पालना घर, बालक मंदीर, बालवाडी, आंगणवाडी आश्रमस्कुल, अनाथालय, वसतीगृह चलाना ।

[४] वृध्दाश्रम, बेसहारा महिलाओं के लिये, वनिता विकास गृह, महिला आश्रम चलाना ।

[५] समाज कल्याण विभाग के अंतेगत आने वाली योजनाये शिवणकला, एब्राडरी नक्षीकाम, हस्तकला प्रशिक्षण केन्द्र अंध, अपंग, मंतीमद, दुर्लभ मनस्क, कुष्टरोग विकास के हेतु चादरी, संतरंजी, विनकाम तथा केनिंग प्रशिक्षण केंद्र चलाना।

[६] गरीबों के लिये मोफत कानुनी सल्ला केंद्र चलाना तथा हुंशार और गरिब विद्यार्थीयों के लिये वाचणालय के मार्फत शालेय किताब, वर्तमान पत्रे उपलब्ध करा देना।

[७] पर्यावरण संतुलन बनाये रखने हेतु सामाजिक वनिकरण, वृक्षारोपण अंतर्गत आनेवालीयोजनाये कार्यान्वीत करना ।

R Jadhav
PRINCIPAL
SUMANTAI WASNIK
INSTITUTE OF NURSING
NAGPUR

सांस्कृतिक :- सांस्कृतीक विकास के हेतु गायण, वादण, नृत्य, नाटक तथा अभिनय कला केंद्र तथा महा विद्यालय चलाना ।

शरीरीरिक :- शारीरीक विकास के हेतु स्कुल, प्रशिक्षण केन्द्र, महाविद्यालय, देशी विदेशी, खेलो के प्रशिक्षण केन्द्र, एशीयाड, ओल्मपीक स्पर्धा में भाग लेने के लिये टिम तयार करना और उसे प्रशिक्षण देना ।

नैतिक, मानसिक, बौधीक :- लोगों को नैतीक मानसिक बौदीक विकास के हेतु, अध्यायन केन्द्र, ध्यान केन्द्र, ज्ञान केंद्र, तथा वाचनालय चलाना । थोर पुरुषो के विचारो का ज्ञान प्राप्त करने हेतु स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, महात्मा जोतीबाफुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर इन महापुरुषों के महान विचारो का ज्ञान प्राप्त करना । प्रेक्षणीय स्थलो के सहेलीओं का आयोजन करके लोगो के पुरातन स्थलों का ज्ञान प्राप्त करने का अवसर प्रधान करना

R. Sadhav
PRINCIPAL
SUMANTAI WASNIK
INSTITUTE OF NURSING
NAGPUR

डेनियल एंड देवेकेर मल्टीपरपज सोसायटी," नागपूर इस संस्था के संविधान अनुसार संस्था के पहले कार्यकारी मंडल में निम्नलिखित पदाधिकारी एंव सदस्य रहेंगे, जिनको संस्था के आधार संहिता (नियमावली) अनुसार कार्यभार संभालने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। उस कार्यकारी मंडल के सदस्यों का पूरा नाम, पद, उम्र, व्यवसाय राष्ट्रीयत्व निम्नलिखित है।

अ.क्र.	सदस्यों का पूरा नाम	पत्ता	आयु	व्यवसाय	पद	राष्ट्र
१]	श्री.बालकृष्ण रामचंद्र वासनिक	३६५ मौलाना आजाद मार्ग, गांधीनगर, नागपूर १०	६५	सामाजिक कार्यकर्ता	अध्यक्ष	भा
२]	श्रीमती. सुमनताई बालकृष्ण वासनिक	-----"-------	६०	घरकाम	उपाध्यक्ष	--
३]	श्री. पुष्पचंद्र मारोतराव देलेकर	४३/२ वैशालीनगर नागपूर-१७	६४	सामाजिक कार्यकर्ता	सचिव	--
४]	श्रीमती. दिप्ती अमितांकर सक्सेना	पूर्वनरकेसरी ले आऊटजयप्रकाशनगर, नागपूर २५	३२	घरकाम	कोषाध्यक्ष	--
५]	श्री. सुशिलकुमार पुष्पचंद्र देलेकर	४३/२ वैशाली नगर नागपूर.१८	२६	सामाजिक कार्यकर्ता	सहसचिव	--
६]	श्री. नारायण गोगलूजी मेश्राम	चॉक्स कॉलोनी नागपूर-१४	६६	सामाजिक कार्यकर्ता	सदस्य	--
७]	श्रीमती मीनाताई चंद्रकांत जावडेकर	"कमलप्रभा" धंतोली नागपूर	५०	घरकाम	--"--	--
८]	श्रीमती लिलाताई सरजु मेश्राम	लष्करीबाग, नागपूर. नागपूर-१७.	४५	शिक्षीका	--"--	--
९]	श्रीमती सुनिता राजेन्द्र बाघमारे.	बारसे नगर, पांचपावली, नागपूर.	२८	घरगुती	--"--	--

RSadlar
PRINCIPAL
SUMANTAI WASNIK
INSTITUTE OF NURSING
NAGPUR

हम निम्न हस्ताक्षर कर्ता इंडीयन ग्रुप वेलफेअर मल्टीपरपज सोसायटी, नागपूर संस्था के सदस्य मिलकर घोषित करते है की, सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट १८६० के अंतर्गत "इंडीयन ग्रुप वेलफेअर मल्टीपरपज सोसायटी" नागपूर नामक संस्था की स्थापना हेतु इसकी पंजीकरण के इच्छुक है। हम एकत्रित होकर यह संस्था आज तारीख २.१.९४ को स्थापन कर उपरोक्त संस्था सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट १८६० के अंतर्गत पंजीयन करने हेतू इस विधानपत्र पर हस्ताक्षर किये है।

अ.क्र.	सदस्यों का पूरा नाम एंव पता	हस्ताक्षर
१]	श्री. बालकृष्ण रामचंद्र वासनिक, ३६५ मौलाना आजाद मार्ग गांधीनगर, नागपूर.१०	[signature]
२]	श्रीमती. सुमनताई बालकृष्ण वासनिक, ३६५, मौलाना आजाद मार्ग, गांधीनगर, नागपूर.१०	[signature]
३]	श्री. पुष्पचंद्र मारोतराव बेलेकर, ४३/२, वैशालीनगर, नागपूर-१७.	[signature]
४]	श्रीमती. दिप्ती अमिताकर सक्सेना, पुर्वनरकेसरी ले आउट, जयप्रकाशनगर, नागपूर.२५	Dipti Saxena
५]	श्री. सुशीलकुमार पुष्पचंद्र बेलेकर, ४३/२ वैशाली नगर, नागपूर.१७	[signature]
६]	श्री. नारायण गोगलूजी मेश्राम, चॉक्स कॉलोनी, नागपूर.१४	[signature]
७]	श्रीमती. मीनाताई चंद्रकांत जावडेकर, "कमलप्रभा" धंतोली, नागपूर.	[signature]
८]	श्रीमती लिलाताई सरजु मेश्राम, लकरीबाग, नागपूर-१७.	Mrs. L. S. Meshram
९]	श्रीमती सुनिता राजेन्द्र वाघमारे, बारसेनगर, पांचपावली नागपूर.	[signature]

स्थल : नागपूर.
तारीख: २.१.९४

उपरोक्त व्यक्तीयोने मेरे सम्मुख इस विधानपत्र पर हस्ताक्षर किये और मै उन्हे पहचानता हूँ।

विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी/वकील/सनदीलेखापाल
नोटरी-पूरा नाम, पता एंव सील

मुद्रा एंव तारीख २.१.९४

Attested True Copy

PRINCIPAL
SUMANTAI WASNIK
INSTITUTE OF NURSING
NAGPUR

परिशिष्ट "ब"

Dated 11/5/44

"इंडीयन युथ वेलफेअर/मल्टीपरपज/सोसायटी" नागपुर इस संस्था के नियम

संविधान

संस्था का कार्यालय :- इस संस्था का कार्यालय श्री. बालकृष्ण रामचंद्र वासनीक ३६५ मौलाना आजाद मार्ग गांधी नगर-१०. नागपुर १०

१. संवीधान के संदर्भिय शब्दों की व्याख्या :-

अ. संस्था अर्थात "इंडीयन युथ वेलफेअर मल्टीपरपज सोसायटी" नागपुर यह समझी जायेगी।

ब. अध्यक्ष अर्थात "इंडीयन युथ वेलफेअर मल्टीपरपज सोसायटी" नागपुर इस संस्था का अध्यक्ष समझा जायेगा।

क. उपाध्यक्ष अर्थात "इंडीयन युथ वेलफेअर मल्टीपरपज सोसायटी" नागपुर इस संस्था का उपाध्यक्ष समझा जायेगा।

ड. सचिव अर्थात "इंडीयन युथ वेलफेअर मल्टीपरपज सोसायटी" नागपुर इस संस्था का सचिव समझा जायेगा।

इ. सहसचिव अर्थात "इंडीयन युथ वेलफेअर मल्टीपरपज सोसायटी" नागपुर इस संस्था का सहसचिव समझा जायेगा।

ई. कोषाध्यक्ष अर्थात "इंडीयन युथ वेलफेअर मल्टीपरपज सोसायटी" नागपुर इस संस्था का कोषाध्यक्ष समझा जायेगा।

फ. सदस्य अर्थात "इंडीयन युथ वेलफेअर मल्टीपरपज सोसायटी" नागपुर इस संस्था का सदस्य समझा जायेगा।

२. संस्था का कार्यक्षेत्र :- इस संस्था का कार्यक्षेत्र संपूर्ण भारत रहेगा।

३. वित्तीय वर्ष :- इस संस्था का वित्तीय वर्ष १ अप्रैल से ३१ मार्च तक रहेगा

४. संस्था की सदस्यता एवं उसकी प्रक्रिया :- कोई भी २१ वर्ष का भारतीय व्यक्ती संस्था का सदस्य हो सकता है। सदस्यत्व पंजीयन हेतु अध्यक्ष या सचिव के पास रुपये ५/- भरकर आवेदन करना होगा, तथा कार्यकारी मंडल के सर्वसम्मती से मंजूरी मिलने के उपरांत निर्धारित सदस्यता शुल्क संस्था में जमा करने पर उसका नाम पंजीयन सदस्य सूची में किया जायेगा।

५. सदस्या के प्रकार :-

अ. आजीवन सदस्य - रुपये १००१/- देकर एवंम् अधिक देने वाले व्यक्तीयों संस्था का आजीवन सदस्य बनाया जायेगा।

PRINCIPAL SUMANTAI WASNIK INSTITUTE OF NURSING NAGPUR

अजनाता हो. छननाधिन होकर संस्था के कार्य में दखलंदाजे रहा हो, स्वखुशि से सदस्यत्व का राजीनामा दिया हो, बरबर नियमों का उल्लंघन करता हो, लगातार ३ सभा में योग्य कारण से अनुपस्थित रहता हो, संस्था के किसी भी प्रकार का गबन करता हो. तथा किसी भी अनुचित कार्य में उन्हे सजा हुयी हो, सदस्यों से समय पर्व न भरी हो तो उन्हे संस्था के हित में कार्यकारी मंडलकी सभा में प्रस्ताव पारीत कर बहुमत से निकाला जायेगा।

५. आम सभा और उसके अधिकार :- आमसभा यह साल में कम से कम एक बार
६ होगी। इस सभा में सभी प्रकार के सदस्य भाग ले सकेंगे। इस सभा का निर्णय यह अंतीम निर्णय व सर्व श्रेष्ठ निर्णय माना जायेगा।

१. कार्यकारी मंडल के कार्योपर नियंत्रण रखना।
२. ३/५ सभासदों के बहुमत से संविधान में बदल करना।
३. पिछली आम सभा में स्विकार किये गये प्रस्ताव पढकर बताना।
४. पिछले जमा खर्च को स्विकृती देना।
५. नये साल के लिये बनाये गये अंदाजपत्र को मंजुरी देना।
६. सभासदों की ओर से आये हुये विषयों पर चर्चा करना।
७. अध्यक्ष की अनुमती से आनेवाले संस्था के उन्नती से संबधीत विषयों पर चर्चा करना आदि।

आम सभा की सुचना एवं गणपूर्ती :- आमसभा की सुचना १० दिन पहले सदस्यों को देना चाहिए। नोटीस मे स्थल, समय, तारीख एवं विषय स्पष्ट लिखा जायेगा। आम सभा की गणपूर्ती के लिये २/३ सदस्यों की उपस्थिती अनिवार्य रहेगी। सभा की गणपूर्ती न होने पर स्थगीत सभा उसी स्थल पर आधे घंटे बाद ली जायेगी। उस सभा को गणपूर्ती की आवश्यकता नही रहेगी। लेकीन ऐसी सूचना नोटीस बुक पर रखना आवश्यकता रहेगा। तथा नोटीस बुक पर सदस्यों के हस्ताक्षर लेना आवश्यक रहेगा। सदस्यों के नोटीस बुक पर हस्ताक्षर न करने पर उसे रजिस्टर्ड पोष्ट से या यु.पी.सी. से नोटीस दिया जायेगा।

९. विशेष आमसभा एवं उसके कार्य :- आवश्यकता होनेपर संस्थाने आम सदस्य की विशेष आमसभा लेकर आवश्यकता नुसार निर्णय लिया जायेगा। सभा की सुचना सात दिन पहले देना होगा। सभा की २/३ गणपूर्ती आवश्यक रहेगी। सभा की गणपूर्ती न होने पर स्थगीत सभा उसी स्थल पर आधे घंटे बाद ली जायेगी। उस सभी को गणपूर्ती की आवश्यकता न रहेगी। लेकीन ऐसी सुचना नोटीस बुक पर रखना आवश्यक रहेगा। नोटिस बुक पर हस्ताक्षर लेकर सदस्यों की नोटीस दिया जायेगा...

PRINCIPAL
SUMANTAI WASNIK
INSTITUTE OF NURSING
NAGPUR

रजिस्टर पोस्ट से तथा ए.पी.सी से नोटीस दिया जायेगा।

१०. संस्था के कार्यकारी मंडल एवं पदाधिकारियों की रचना :- इस संस्था के कार्यकारी मंडल में कुल नौ सदस्य रहेंगे। जिनमें निम्नलिखित पदाधिकारी और सदस्य होंगे।

१. अध्यक्ष-१, २. उपाध्यक्ष-१, सचिव -१ ४. सहसचिव-१.
५. कोषाध्यक्ष-१, सदस्य - चार।

११. कार्यकारी मंडल का कार्यकाल एवं चुनाव की पद्धत :- कार्यकारी मंडल का कार्यकाल तीन वर्ष का रहेगा। कार्यकारी मंडल का चुनाव तथा पदाधिका का चुनाव हर तीन वर्ष बाद आमसभा में सदस्यों के बहुमतों से किया जा

१२. कार्यकारी मंडल के पदाधिकारी, उनके कार्य और दायित्व :-

<u>अध्यक्ष</u> :- १. संस्था की संपत्तीयों पर तथा कार्यों पर नियंत्रण रखना. २. रकम लेन देन संबंधी की व्यवहार करना. ३. संस्था के हित में सम समय पर मार्गदर्शन करना. खर्च के बिलों के पर हस्ताक्षर करना. हिसाब की कीर्दबो पर सही करना, संस्था का पत्रव्यवहार करना, आवश्यक नियम करना आदि।

<u>उपाध्यक्ष</u> :- अध्यक्ष की अनुपस्थिती में अध्यक्ष का कार्य करना तथा संस्था कार्य में मदत करना।

<u>सचिव</u> :- १. संस्था की सभा का नोटीस जारी करना, तथा सभा का आयोजन करना. २. सर्वसाधारण और कार्यकारी मंडल के सभा का प्रस्ता प्रोसिडींग बुक में लिखकर और उसे अमल में लाना तथा आवश्यक नियम करना. ३. मेम्बर शिप रजिस्टर. कॅशबुक, लेजरबुक, खर्चे के व्यवहार [व्हाऊचर] रसिद बुक लिखना. खर्चे के बिल मंजुर करना, तथा रोज हिसाब देखकर सही करना. ४. संस्था का पत्रव्यवहार करना, तथा आ कोर्ट कचहरी के कार्य करना. ५. पैसे के लेनदेन संबंधी व्यवहार करना, की संपत्ती यों पर देखरेख करना. ६. संस्था के उद्देश की प्रगती के लिये तथा विकास हेतु प्रयास करना. खर्च के लिये ५००/०० पांच सौ रुपया जमा रखा जायेगा।

<u>सहसचिव</u> :- सचिव की अनुपस्थिती में सचिव का कार्य करना, संस्था कार्य में मदत करना।

<u>कोषाध्यक्ष</u> :- १. हिसाब रखना, लिखना तथा उसका जमा पत्रक तय करना कार्यकारिणी की मंजुरी लेना और उसका ऑडीट करना।
२. रसिद बुकों पर हस्ताक्षर करना, उसका स्टॉक बुक बनाना।

PRINCIPAL
SUMANTAI WASNIK
INSTITUTE OF NURS
NAGPUR

कार्यकारी मंडल के सदस्य :- कार्यकारी मंडल के एवं आम सभा में उपस्थित रहना तथा सभी विकासशील कार्य में मदत करना। चुनाव में मतदान करना।

अन्य सदस्य :- आम सभा में उपस्थित रहना। चुनाव में मतदान करना एवं संस्था को आवश्यक मदत करना।

१३. कार्यकारी मंडल की सभा एवं अनुरोध सभा :- कार्यकारी मंडल की सभा तीन महिने में एक बार ली जायेगी। २/३ सदस्यों के लिखित अनुरोधपर सात दिन के अंदर सभा आयोजित की जायेगी।

१४. कार्यकारी मंडल के सभा की सुचना तथा गणसंख्या :- कार्यकारी मंडल के सभी की सुचना ७ दिन पहले सदस्यों को दि जायेगी। सुचना में स्थल, समय तारीख, विषय स्पष्ट लिखा जायेगा। गणपूर्ती के लिये २/३ सदस्यों की उपस्थिती आवश्यक रहेगी। नोटीस बुक पर सही लेकर सदस्यों को नोटीस दिया जायेगा। नोटीस बुकपर सही न करने पर रजिस्टर्ड पोष्ट से अथवा यु.पी.सी से नोटीस दिया जायेगा।

१५. कार्यकारी मंडल के चुनाव के लिये नियम :- १. सदस्यों की ओर संस्था की किसी भी प्रकार की रक्कम बकाया होगी उसे संस्था के चुनाव में भाग लेने का या मतदान करने का अधीकार नही रहेगा। २. एक वर्ष साधारण सदस्य रहने पर मतदान का अथवा चुनाव में भाग लेने का अधीकार रहेगा। ३. चुनाव की तारीख की सुचना पंधरा दिन पूर्व लिखित नोटीस व्दारा दी जानी चाहिये। ४. चुनाव अधीकारी की नियुक्ती ३० दिन पूर्व करना चाहिये। ५. चुनाव सर्वसाधारण सदस्यों के बहुमतों से आम सभा में किया जायेगा।

१६. कार्यकारी मंडल के रिक्त पद भरने बाबत :- किसी ट्रस्टी के त्यागपत्र से मृत्यु या किसी कारणवश कोई भी पद की जगह रिक्त होनेपर वह जगह कार्यकारी मंडल बहुमतों से उस कार्यकारी मंडल के कार्यकाल तक के भरेगी।

अ. त्यागपत्र देना : पदाधिकारियों को त्यागपत्र देना हो तो उन्होने त्यागपत्र अध्यक्ष अथवा सचिव को देना चाहिये।

ब. त्यागपत्र स्विकार करना : त्यागपत्र मिलने पर उसे कार्यकारी मंडल की सभा में रखा जायेगा। कार्यकारी मंडल की सभा में स्विकृती मिलने पर त्यागपत्र स्विकार किया गया ऐसा माना जायेगा। त्यागपत्र स्विकृत होने तक उनका पद एवं सदस्यता कायम रहेगी।

PRINCIPAL
SUMANTAI WASNIK
INSTITUTE OF NURSING
NAGPUR

कई है इनमे इस पार वामों होनी चाहिए।

१. सर्वसाधारण सभा में पारित किये गये प्रस्तावों को अमल में लाना।

२. पिछले सभा में मंजूर किये गये प्रस्ताव पढकर बताना।

३. संस्था के कार्योपर और संपत्तीयों पर नियंत्रण रखना।

४. संस्था के लिये कर्मचारियों की निय़ुक्ती करना. उन्हे निकालना, उनपर नियंत्रण रखना, जिससे संस्था का कार्य सूचारू रुप से चले।

५ निधी, दान, अनुदान आदि स्विकृत करना।

६. नये सदस्यों के आवेदन पर चर्चा करना. उन्हे स्विकृती देना. अथवा नही देना।

७. संविधान में संशोधनपर चर्चा करना और उसे स्विकृती के लिये सर्वसाधारण सभा मेंरखना।

८. कार्यकारिणी में रिक्त हुयी जगह को भरना।

९. उपशाखा और उपसमितीयों की नियुक्ती करना।

१०. अध्यक्ष की अनुमती से अन्य विषयों पर चर्चा करना।

१८. संस्था की आय :-
इस संस्था की आमदनी का साधन प्रवेश फी, सभासद वार्षिक फीस, चंदा, दान, अनुदान, निधी तथा किसी व्यक्ती या बैंक से प्राप्त रक्कम आदि।

१९. उद्देश्यों पर खर्च बाबद प्रावधान :- संस्था व्दारा शैक्षणिक उद्देश्यों पर ५०%, सामाजिक २०%, सांस्कृतिक १०%, शारिरीक १०%, नैतीक मानसिक और बौध्दिक १०% खर्च किया जायेगा।

२०. कर्जा या अमानत लेने संबंधी प्रावधान :- संस्था को आवश्यकता होनेपर किसी भी व्यक्ती या सभासद से कर्ज या अमानत लिया जा सकेगा, इसलिये आवश्कता पूर्व अनुमती या धर्मादाय सह आयुक्त नागपूर से लेनी होगी।
कर्ज या अमानत केंद्र या राज्य खादी ग्रामोदयोग आयोग से या किसी बैंक या व्यक्ती से प्राप्त कर सकेगी। आवश्यकता नुसार संस्था की स्थावर संपत्ती गिरवी रख सकेंगी। खादी ग्रामोदयोग आयोग की ओर से व्याज छूट पात्रता प्रमाण पत्र मिलने पर संस्था बैंक से उधार ले सकेगी। R.Jadhav

PRINCIPAL
SUMANTAI WASNIK
INSTITUTE OF NURSING
NAGPUR

... प्रावधान :- संस्था के लिये जरूरी होने पर संस्था की आवश्यक संपत्तीयाँ खरीदी जा सकेगी । स्थाई संपत्तीयाँ खरीदने के पहिले कार्यकारी मंडल का प्रस्ताव पारित कर मा. धर्मादाय सह. आयुक्त. नागपूर से पुर्व अनुमती लेनी चाहिये ।

२२. बैंक खाते :- इस संस्था की बकाया राशी किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में रखी जायेगी । रक्कम निकालने का अधिकार अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष ~~इनको रहेगा~~ । इनमें से किन्ही दो के संयुक्त सही से बैंक से रक्कम निकाली जायेगी ।

२३. सदस्यों की सुची :- १८६० के संस्था पंजीयन अधिनियम १५ के अनुसार संस्था के जो सभासद रहेंगे, उनकी एक सूची १९७१ के संस्था पंजीयन महाराष्ट्र नियम की धारा ७ के अंतर्गत अनुसूची क्रमांक १, नियम ८ नुसार अनूसुचित क्रमांक २ एंव नियम १५ अंतर्गत अनुसूची क्रमांक६ के प्रोफार्म में रखी जायेगी ।

२४. नियमावली में संशोधन संबंधी प्रावधान :- संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता हो तो सर्वसाधारण सभी में सदस्यों को ३/५ बहुमतो से प्रस्ताव मंजूर कर आवश्यक नये नियम तयार करना तथा नियम कम करना, सोसायटी रजिष्ट्रेशन ऍक्ट १८६० के धारा १२ के अंतर्गत कार्यवाही पूरी करनी चाहिये ।

२५. संस्था के नाम और उद्देश्यों में परिवर्तन के संबंधी प्रावधान:- संस्था के नाम और उद्देश्य में परिवर्तन करना हो या दो संस्था के विलीनीकरण की आवश्यकता हो तो १८६० के संस्था पंजीयन अधिनियमों की धारा १२ अथवा १२-अ के अंतर्गत कार्यवाही करनी चाहिये ।

२६. संस्था का विसर्जन :- संस्था को विसर्जित करना हो तो सर्वसाधारण सभा में ३/५ सदस्यों के बहुमतो से प्रस्ताव मंजूर करना होगा, संस्था की शेष रक्कम या संपत्तीयाँ किसी दुसरे संस्था को दान के रुप में देना चाहिये । वैसे ही संस्थी में लेनदेन संबंधीत व्यवहारों को पुरा करना चाहिये, सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट १८६० की धारा १३ और १४ के अंतर्गत संस्था विसर्जन बाबद योग्य कार्यवाही करना चाहिये ।

RJadhav
PRINCIPAL
SUMANTAI WASNIK
INSTITUTE OF NURSING
NAGPUR

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है की "इंडीयन युथ डेवलपेअर मल्टीपरपज सोसायटी" नागपूर तह. जि. नागपूर के संविधान की सत्यप्रती है ।

स्थल : नागपूर
तारीख: २/१/९८

अ.क्र.	नाम	पद	हस्ताक्षर
१]	श्री. बालकृष्ण रामचंद्र वासनिक	अध्यक्ष	[signature]
२]	श्री. पुष्पचंद्र मारोतराव बेलेकर	सचिव	[signature]
३]	श्री. सुशिल कुमार पुष्पचंद्र बेलेकर	सह सचिव	[signature]

Certified To Be
Xerox True Copy

PRINCIPAL
SUMANTAI WASNIK
INSTITUTE OF NURSING
NAGPUR